

--:: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) साजा जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) ::--

रा.प्र.कं. 2024/2230 अ-62 वर्ष 2023-24

लक्ष्मण पिता दाउराम जाति लोधी
साकिन ग्राम - परसबोड़ प.ह.न. 08
तहसील साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

400002

.....आवेदक

विरुद्ध

छ.ग. शासन

..... अनावेदक

--:: पारित आदेश दिनांक 20/11/24 ::--

1/ आवेदक लक्ष्मण पिता दाउराम जाति लोधी निवासी ग्राम परसबोड़ प.ह.न. 08 तहसील साजा जिला बेमेतरा के द्वारा ख.न. 1708/1 रकबा 0.04 हे. है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि में 01 नग सागोन वृक्ष जो पूर्ण रूप सुख चुका हैं। जिसमें मकान बनाना है। इस कारण 01 नग सौगोन वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान करने आवेदन पत्र, शपथ पत्र, के साथ बी-1, खसरा, फोटो आदि पेश किया गया है।

2/ प्रस्तुत पत्र के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार, साजा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3/ कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा (वनमंडल-दुर्ग), जिला बेमेतरा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार लक्ष्मण पिता दाउराम जाति लोधी निवासी ग्राम परसबोड़ प.ह.न. 08 तहसील साजा जिला बेमेतरा के द्वारा ख.न. 1708/1 रकबा 0.04 हे. है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि में 01 नग सागोन वृक्ष जो पूर्ण रूप सुख चुका हैं। जिसमें मकान बनाना चाहता है। इस कारण 01 नग सौगोन वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान किये जाने आवेदन पेश है जिसे शासन के नियमानुसार ही कटाई किये जाने की अनुमति दिया जावे प्रतिवेदित किया गया है।

तहसीलदार साजा एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा (वनमंडल-दुर्ग), तथा रा.नि. साजा के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि ख.न. 1708/1 रकबा 0.04 हे. जिसमें 01 नग सागौन का पेड़ स्थित है। जिसे छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

अतः तहसीलदार साजा एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा (वनमंडल-दुर्ग), तथा रा.नि. साजा नगरीय के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये, आवेदक द्वारा ग्राम परसबोड़ प.ह.न. 08 तहसील साजा जिला बेमेतरा स्थित भूमि भूमि ख.न. 1708/1 रकबा 0.04 हे. जिसमे 01 नग सागौन का पेड़ स्थित है। जिसे छ.ग.भू.रा.संहिता की धारा 240 नियम 2 के उप नियम (तीन) (सात) के अंतर्गत छ.ग.भू.रा.संहिता की धारा 240 के नियम 10 के अंतर्गत प्रति वृक्ष 150.00 रु. की दर से 150/- रुपये ग्राम पंचायत कोष में जमा करते हुए वन विभाग के माध्यम से नियमानुसार उक्त 01 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान किया जाता है।

आवेदक छ.ग.भू.रा. संहिता की धारा 240 के नियम 10 (4) के प्रावधान अनुसार प्रति वृक्ष 150/- रुपये की दर से 01 नग वृक्ष की राशि 150/- रुपये संबंधित ग्राम पंचायत के रोपण निधि में तत्काल जमा कर चालान/रसीद पेश करे।

आदेश पारित एवं घोषित।

पृ.क्रमांक/ 1924/प्र.1/अ.वि.अ./2024
प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
बेमेतरा, दिनांक 26/09/2024

1. वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग को सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, साजा को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. तहसीलदार, साजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. ग्रामपंचायत परसबोड़ तहसील साजा जिला बेमेतरा को सूचनार्थ ।
6. आवेदक लक्ष्मण पिता दाउराम जाति लोधी निवासी ग्राम परसबोड़ प.ह.न. 08 तहसील साजा जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)